माननीय न्यायालयश्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क्र. /16 पुनरीक्षण R 4055-PBR-16

शिवनारायण पुत्र बद्रीलाल जाति ब्राहम्मण आयु 85 वर्ष धंधाखेती निवासी नाईपुराकंला तहसील चांचौडा जिलागुनाम.प्र. ..... रिवीजनकर्ता

बनाम

लीलाबाई पत्नि अमरसिंह जाति गूजर निवासी गुंजारी तहसील चाचौडा जिलागुनाम.प्र.., प्रतिरिवजनकर्ता

रिवीजनपत्र अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.

============================

माननीय न्यायालय श्रीमान नायबतहसीलदार महोदय चाचौडा जिलागुना म.प्र. के प्रकरणक्रमांक 3316/16-17 मे पारित आदेशिका दिनांक 10-11-16 से दुखी होकरयह रिवीजन अन्दर अवधिनियत न्यायशुल्क सहित श्रीमानके श्रवण क्षेत्राधिकारी के अन्तर्गत,प्रस्तुत है

==================================

माननीयमहोदय,

रिवीजनपत्र का संक्षिप्त विवरण इसप्रकारहैं।

1: यहकि माननीय न्यायालयश्रीमाननायबतहसीलदारमहोदय चाचौडा के न्यायालयमे नामान्तरणहेतु विचाराधीनहैजिसमेदिनांक 20-10-16 के अनावेदकगण को सूचनापत्र जारी करने काआदेशदियागया और दिनांक 10-11-16 को पुनः अपने आदेशकोबदलते हुये यह आदेश करदियागयाकि सहखातेदार को तलब किया जाना आवश्यक नहीहै और सह खातेदार को तलब नही किया और अपने ही आदेशको बदल दियायही आदेशदिनांक 10-11-16 ही रिवीजनाधीनआदेश हैजिसआगेइसरिवीजनपत्रमे रिवीजनाधीन अदेश से संबोधितकियागयाहैं।

6: रिवीजन के आधार

======

7: 1: यहकि नामान्तरणप्रकरणमे यह आवश्यक है कि जोभी व्यक्ति

.....2..

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक– निगरानी–4055–पीबीआर /2016, जिला–गुना

शिवनारायण विरूद्ध लीलाबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
02–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार चाचौड़ा, जिला–गुना के प्रकरण क्रमांक 3/अ–6/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 10–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–गुना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 11–06–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य	